

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :-217 / 2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

दसरू उराँव

- विक्रेता

1. अरबिंद कुमार तोपनो वो 2. डेजी कुमारी तोपनो

- क्रेता

देश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
23.11.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक दसरू उराँव पिता स्व० मोएसु उराँव ग्राम-कालामाटी, पो०-फुदी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने 1. अरबिंद कुमार तोपनो वो 2. डेजी कुमारी तोपनो दोनों पिता अफ्रेम तोपनो ग्राम-फुदी, पो०-फुदी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="268 772 1401 869"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कालामाटी</td> <td>216</td> <td>100</td> <td>1172</td> <td>0.21½</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0447984064 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 944 दिनांक 12.11.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम लोहरा उराँव वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार नथुवा उराँव वगैराह के नाम भूमि का 17.07 एकड़ है। आवेदक के कुल रकबा 4.26 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 10769.00(दस हजार सात सौ उनहत्तर)रु० प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.04 एकड़ रह जाती है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दसरू उराँव पिता स्व० मोएसु उराँव को 1. अरबिंद कुमार तोपनो वो 2. डेजी कुमारी तोपनो दोनों पिता अफ्रेम तोपनो के साथ ग्राम कालामाटी के खाता सं० 100 खेसरा संख्या 1172 कुल रकबा 0.21½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 10769.00(दस हजार सात सौ उनहत्तर)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">23/11/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	कालामाटी	216	100	1172	0.21½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
कालामाटी	216	100	1172	0.21½								

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।